

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक ५६ / दो-11-2 / 2005 (भाग-2)

हरदा, दिनांक २१ / 07 / 2025

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ आपराधिक प्रकरणों के जप्तशुदा मुद्देमाल को मालखाना नाजिर के द्वारा प्रॉपर्टी पर्चा पर न्यायालय के मांगपत्र अथवा अन्य किसी लिखित निर्देश के बिना न्यायालयों को प्रेषित किया गया है। यह प्रक्रिया पूर्णतः अनुचित है और परिणामस्वरूप संपत्ति के दुर्व्ययन की संभावना भी उत्पन्न होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मालखाना नाजिर के द्वारा मालखाना अनुभाग में जमा किसी भी संपत्ति को संबंधित विचारण न्यायालय के प्रॉपर्टी पर्चे पर की गई मांग अथवा अन्य लिखित निर्देश के बिना न्यायालय प्रेषित नहीं किया जावेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित प्रकरण का तत्समय प्राधिकार रखने वाले निष्पादन लिपिक/कर्मचारी के द्वारा ही संपत्ति को प्राप्त किया जावेगा।

विभिन्न न्यायालयों को मालखाना से प्रेषित की गई संपत्तियों के वापसी के तथ्य को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रत्येक सप्ताह सत्यापित किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

Sham
(तृप्ति शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 1212 / दो-11-2 / 2005 (भाग-2)

हरदा, दिनांक ३० / 07 / 2025

प्रतिलिपि:—

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा की ओर पालनार्थ एवं अपने अधिनस्थ निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, मालखाना अनुभाग, जिला न्यायालय हरदा की ओर सूचनार्थ एवं इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी किये जाने हेतु प्रेषित।
3. कोर्ट मैनेजर/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को ई-मेल के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

01/8

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)